

हम लगातार लोकतंत्र के स्थान पर लोक स्वराज्य व्यवस्था को वर्तमान समस्याओं का समाधान बता रहे हैं। लोक स्वराज्य व्यवस्था में वर्तमान भारतीय संविधान में कुछ व्यापक सुधार करने होंगे। हम लोगो ने सन 84 से 99 तक लगातार परिश्रम करके प्रस्तावित संविधान का जो ड्राफ्ट तैयार किया था। वह ड्राफ्ट आज भी उतना ही उपयोगी है। यह ड्राफ्ट लोक स्वराज्य प्रणाली का एक हिस्सा हो सकता है। उक्त प्रस्तावित संविधान का पूरा ड्राफ्ट हम आपको भेज रहे हैं। इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। दो और तीन अप्रैल को रामानुजगंज में आयोजित लोक स्वराज्य सम्मेलन में भी इस संबंध में विस्तार से चर्चा होगी।

भारत का प्रस्तावित संविधान और स्थिति

सत्ता के माध्यम से सामाजिक समस्याओं के समाधान को असंभव मानकर मैंने पचीस दिसम्बर चौरासी को सामाजिक समस्या अनुसंधान केन्द्र प्रारम्भ किया। इस केन्द्र के माध्यम से समाज की प्रमुख समस्याएँ, उनका कारण और उनके समाधान का मार्ग खोजा गया। महसूस किया गया कि समाज व्यवस्था को कमजोर करके राज्य व्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। साथ ही इस समाज कमजोरीकरण योजना में धर्म व्यवस्था भी सक्रिय है। दुर्भाग्य से इस्लाम तथा संघ परिवार के माध्यम से राज्य व्यवस्था और धर्म व्यवस्था के बीच समाज व्यवस्था के विरुद्ध एक नापाक गठबंधन भी हो चुका है जो बहुत घातक है। ऐसी स्थिति में राज्य व्यवस्था और धर्म व्यवस्था से ऊपर समाज व्यवस्था को निर्णायक वरीयता हमारी पहली आवश्यकता है।

किन्तु यह भी स्पष्ट दिखा कि समाज व्यवस्था को वरीयता दिलाने का कोई भी मार्ग संविधान व्यवस्था के माध्यम से ही आगे जा सकता है क्योंकि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हिंसा का स्थान नहीं होता। मैंने भी पचीस दिसम्बर के बाद सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन के लिये संवैधानिक व्यवस्था परिवर्तन को मार्ग मानकर प्रयत्न शुरू किया और पंद्रह वर्ष तक पूरा परिश्रम करके एक नई संवैधानिक व्यवस्था का ऐसा प्रारूप तैयार किया जो राजनीति और धर्म से ऊपर समाज को वरीयता दिला सके। प्रारूप बनाने में पंद्रह वर्ष लगे और करीब पचास लाख रूपया खर्च हुआ जो आज के हिसाब से तो कई करोड़ माना जा सकता है। देश भर के चुने हुए सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, संवैधानिक विद्वान इस महत्वपूर्ण योजना में शामिल हुए। इस प्रयत्न को तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार का आक्रमण भी झेलना पड़ा किन्तु प्रयत्न जारी रहे। चार नवंबर निन्यान्वे को उक्त व्यवस्था का प्रारूप "भारत का प्रस्तावित संविधान" नाम से बनकर तैयार हुआ और उस तारीख को देश भर के चुने हुए सौ विद्वानों ने उक्त प्रारूप राष्ट्र को समर्पित कर दिया।

उक्त प्रारूप को तैयार हुए बाईस वर्ष बीत चुके हैं। यद्यपि उक्त प्रारूप के अधिकांश भाग तो पचीस से तीस वर्ष पूर्व ही तैयार थे किन्तु उक्त प्रारूप की अन्तिम भाषा और शब्दावली तो चार नवंबर को ही घोषित हो पाई। इतना लम्बा समय बीतने के बाद भी आज तक उक्त प्रस्तावित संविधान के किसी अनुच्छेद में कोई संशोधन की जरूरत महसूस नहीं हुई। वर्तमान भारत सरकार उक्त संविधान के महत्वपूर्ण अंशों को एक-एक करके लागू करती जा रही है। जैसे-

(1) ग्राम सभा का निर्माण, उसकी रचना और अधिकार

(2) यूनिक आइडेंटिटी कोड कार्ड

(3) नगद सब्सिडी

(4) अधिकतम निजीकरण

(5) उग्र राष्ट्रवाद की जगह विश्व व्यवस्था से सामंजस्य

(6) बी.ए. से नीचे की शिक्षा में शासकीय हस्तक्षेप शून्य करना तथा परीक्षाएँ भी स्वतंत्र करना फिर भी अनेक ऐसे सुझाव इस प्रस्तावित संविधान के भाग हैं जिन पर अब तक सरकार कोई कदम नहीं बढ़ा सकी है जैसे-

(1) कृत्रिम उर्जा की भारी मूल्य वृद्धि

(2) मूल अधिकार की परिभाषा बदलना

(3) सुरक्षा और न्याय को सर्वोच्च प्राथमिकता घोषित करना

(4) ग्राम सभाओं को अधिकाधिक अधिकार देना तथा केन्द्र के पास कम से कम विभाग रखना

(5) अधिकारों के विकेन्द्रीयकरण की जगह अकेन्द्रीयकरण

(6) विधायिका और कार्यपालिका को बिल्कुल पृथक-पृथक करना

(7) विधायिका और संविधान सभा को पृथक करना

(8) फांसी की सजा के विकल्प तैयार करना

(9) अपराध, गैरकानूनी तथा अनैतिक कार्यों को पृथक-पृथक परिभाषित करना

(10) लोक सभा को स्थाई स्वरूप देना तथा परिवार सभा को पांच वर्ष में बदलना

(11) समान नागरिक संहिता लागू करना तथा समान आचार संहिता को छोड़ना

(12) राइट टू रिकाल

(13) संविधान में एक सूची डालना जिसमें परिवार, गाँव, जिला, प्रदेश और राष्ट्र के अधिकारों का स्पष्ट विभाजन हों।

(14) परिवार को व्यवस्था की पहली इकाई बनाना।

फिर भी हम इस बदलाव को सिर्फ राजनैतिक व्यवस्था के भरोसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनकी नीयत भी ठीक नहीं है और नीतियां भी ठीक नहीं हैं। इसलिये हमें इस दिशा में जन जागरण करना ही होगा। यदि हमने जन जागरण के द्वारा एक नई संविधान सभा बनवा भी ली तो वर्तमान वातावरण में नया संविधान भी कोई अच्छा बनने की संभावना नहीं है। दूसरी ओर नई संविधान सभा बने बिना कोई बदलाव भी संभव नहीं है। इसलिये अब हमें दोनों दिशाओं में मिलकर जन जागरण करना पड़ेगा। एक

तरफ तो हम नई संविधान सभा के लिये जन जागरण करते रहे दूसरी ओर आदर्श संविधान के प्रारूप पर भी जन जागरण चलता रहे। कार्य कठिन है किन्तु इसके अतिरिक्त कोई मार्ग बचा नहीं है। इसलिये लोक स्वराज्य मंच के माध्यम से यह असंभव कार्य संभव करने की शुरुआत हो रही है।

प्रस्तावित संविधान का प्रारूप

उद्देश्यिका (Preamble)

हम, भारत के नागरिक, भारत में संविधान सम्मत गणतंत्र बनाने तथा सभी नागरिकों को -

- (1) सत्ता का अकेन्द्रीयकरण
- (2) अपराध मुक्ति
- (3) आर्थिक अकेन्द्रीयकरण
- (4) श्रम सम्मान
- (5) समान नागरिक संहिता

प्राप्त कराने के उद्देश्य से संविधान सभा के समक्ष संविधान प्रस्तुत करते हैं।

भाग 1- परिभाषा

(1) क. परिवार - संयुक्त सम्पत्ति संयुक्त उत्तरदायित्व तथा संविधान की धारा 111 के आधार पर पंजीकरण कराने वाले व्यक्तियों का समूह।

ख. प्रधान न्यायाधीश - सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश।

ग. मूल रूपया - सन 80 के आधार वर्ष पर रूपये का मूल्य।

घ. कृत्रिम ऊर्जा - पत्थर कोयला, पेट्रोल, डीजल, गैस, मिट्टी तेल और बिजली।

ड. संसद - लोकसभा तथा परिवार सभा।

च. राज्य- संसद संघ तथा उसकी शासन व्यवस्था।

भाग 2 - संघ, संघ क्षेत्र और नागरिकता

2. भारत परिवारों का संघ होगा।

3. संघ और संघ क्षेत्र वे होंगे जो -

1. वर्तमान भारतीय संविधान के अनुसार संघ क्षेत्र है।
2. भविष्य में भारत संघ में शामिल हो।

4. 1. वह प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जो -

(क) इस संविधान के प्रारंभ में विधिवत भारत का नागरिक है।

(ख) संसद द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार भारत की नागरिकता ग्रहण करें।

2. जो व्यक्ति भारत की नागरिकता छोड़ना चाहे वह विधि अनुसार छोड़ सकेगा।

भाग 3- मूल अधिकार

5. राज्य या संसद, धारा 165/6 के अतिरिक्त कोई ऐसी विधि नहीं बनायेगा जो संविधान के इस भाग द्वारा दिये गये अधिकारों को छीनती या न्यून करती हो।

6. भारत के प्रत्येक नागरिक को

1. जीने का 2. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का 3. सम्पत्ति का 4. स्व निर्णय का

उस सीमा तक अधिकार होगा कि वह किसी अन्य नागरिक के इस धारा में वर्णित अधिकारों का हनन न करें।

7. यदि कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकार का इस प्रकार उपयोग करता है कि उससे किसी अन्य व्यक्ति के किसी मूल अधिकार का हनन होता है तो

राज्य का यह दायित्व होगा कि उस अन्य व्यक्ति के उस मूल अधिकार की रक्षा करें तथा हनन करने वाले व्यक्ति को विधि अनुसार दण्डित करें।

संसद को यह शक्ति होगी कि वह विधि विरुद्ध कार्य करने वाले को दण्डित करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय की राय से विधि बनावे।

8. राज्य का यह भी दायित्व होगा कि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार के हनन होने पर उक्त को वैसा मुआवजा दे जो न्यायालय विधि अनुसार उचित समझे।

9. किसी भी व्यक्ति को तभी अपराधी माना जायेगा जब वह कोई ऐसा कार्य करें जो राज्य द्वारा आयोजित किसी विधि के विरुद्ध हो, साथ ही उसे वही सजा दी जा सकेगी जो कार्य करते समय प्रवृत्त विधि के अधीन घोषित थी।

10. किसी एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दण्डित नहीं किया जायेगा।

11. किसी व्यक्ति को उसके मूल अधिकारों से विधि द्वारा बनाई गई प्रक्रिया के आधार पर ही वंचित किया जा सकेगा।

12. प्रत्येक व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया गया है-

क.) उसकी गिरफ्तारी का कारण उसे तुरन्त बताया जायेगा।

ख.) निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करके उनकी अनुमति के बिना गिरफ्तारी के चौबीस घण्टे से अधिक समय तक गिरफ्तार नहीं रखा जा सकेगा। परन्तु यदि आवागमन की दूरी के कारण कुछ विलम्ब हो तो मजिस्ट्रेट ऐसी स्थिति पर विचार करेगा।

ग.) अपनी रूचि के वकील से परामर्श या प्रतिरक्षा के उपाय से वंचित नहीं किया जायेगा।

13. हर व्यक्ति को, विधिपूर्वक अर्जित की हुई सम्पत्ति किसी भी सीमा तक रखने का अधिकार होगा परन्तु संसद को धारा 162/2, 129 तथा 153 (2) के आधार पर कर लगाने का अधिकार होगा।

14. संसद को यह अधिकार होगा कि वह किसी व्यक्ति की सम्पत्ति को अर्जित करने का नियम बना सके, यदि --

1. राज्य को उक्त सम्पत्ति की आवश्यकता हो।

2. राज्य की दृष्टि में किसी व्यक्ति द्वारा पंजीकरण पत्र में घोषित मूल्य से सम्पत्ति का मूल्य अधिक हो।

3. कोई अन्य व्यक्ति सम्पत्ति का मूल्य घोषित मूल्य से न्यूनतम तीस प्रतिशत अधिक देने को सहमत हो।

परन्तु किसी भी व्यक्ति की सम्पत्ति का अर्जन नहीं किया जा सकता यदि -

(क) उसे घोषित मूल्य से 25 प्रतिशत अधिक मूल्य न दिया जाए।

(ख) पंजीकरण पत्र में मूल्य घोषणा के बाद किसी विशेष कारण से उक्त सम्पत्ति का मालिक घोषणा में संशोधन हेतु सहमत हो।

(ग) उपधारा (1) (2) के अन्तर्गत आने वाली स्थिति में सम्पत्ति का मालिक प्रस्तावित मूल्य का 10 प्रतिशत राज्य या घोषणा करने वाले व्यक्ति को देने हेतु सहमत हो जाये।

15. इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिये समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने के अधिकार की गारंटी दी जाती है। इसके लिये उच्चतम न्यायालय को आवश्यकतानुसार आदेश बन्दी प्रत्यक्षीकरण, रिट, परमादेश, अधिकार, पृच्छा, प्रतिशोध, और उत्प्रेरणा रिट जारी करने की शक्ति होगी।

16. किसी भी व्यक्ति के आपराधिक आचरण को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्तिगत आचरण की व्यक्तिगत आलोचना उसके मूल अधिकारों का उल्लंघन माना जायेगा।

भाग 4 - राज्य और उसकी संरचना

17. भारत का एक राष्ट्रपति होगा।

18. (क) संघ की कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा।

(ख) संघ की रक्षा का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा तथा उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होगा।

(ग) इस अनुच्छेद की कोई बात राष्ट्रपति से भिन्न अन्य प्राधिकारियों को विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद को निवारित नहीं करेगी।

19. राष्ट्रपति का निर्वाचन संघ सभा के सदस्यों द्वारा होगा।

20. कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकेगा।

21. (1) राष्ट्रपति अपने पदग्रहण की तारीख से पांच वर्ष तक या जब तक उसका उत्तराधिकारी पदग्रहण न करें तब तक पद पर बना रहेगा।

क. यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने हाथ से लिखे लेख द्वारा अपने पद का त्याग न कर दे।

ख. या राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर धारा 28 में उपबंधित रीति से चलाये गये महाभियोग द्वारा पद से न हटा दिया जाये।

(2) उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना तत्काल लोक सभा एवं परिवार सभा के अध्यक्षों को देगा भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।

22. उपराष्ट्रपति परिवार सभा का पदेन सभापति होगा तथा संघ सभा एवं संघ पंचायत का सभापति होगा।

23. 1. राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से खाली होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर अस्थायी रूप से तब तक बना रहेगा जब तक कोई नया निर्वाचित राष्ट्रपति पद ग्रहण न कर लें।

2. राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या बीमारी या अन्य कारणों से कार्य असमर्थता की स्थिति में उनके फिर से कार्य संभालने तक राष्ट्रपति का कार्य भार उपराष्ट्रपति ही संभालेंगे।

3. उपधारा 1. तथा 2. की स्थिति में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाली सभी सुविधाएँ भत्ते शक्तियाँ तथा उन्मुक्तियाँ प्राप्त होंगी।

24. उपराष्ट्रपति का निर्वाचन परिवार सभा द्वारा अपने बीच से ही किया जायेगा।

25. राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अपने पद के कार्यकाल में न तो कोई लाभ का पद रख सकेंगे न ही किसी परिवार, पंचायत, सभा अथवा सदन के सदस्य ही रह सकेंगे।

26. उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच वर्ष या नयी व्यवस्था होने तक का होगा यदि --

1. उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित करके तथा स्वयं के हाथ से लिखित पत्र द्वारा पद न छोड़ दे।

2. परिवार सभा उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प न पारित कर दे जो उपस्थित परिवार सभा के सभी सदस्यों के 2/3 मत से कम न हो।

27. 1. जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना हो तो संसद का कोई सदन आरोप लगा सकेगा। यह आरोप उस सदन के न्यूनतम एक चौथाई सदस्यों द्वारा सूचित करने के चौदह दिन बाद ही विचार करके उस सदन के न्यूनतम दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से पारित होना आवश्यक रहेगा।

2. उपधारा एक के आधार पर उपराष्ट्रपति के विरुद्ध लगाये गये महाभियोग प्रस्ताव पर दूसरा सदन विचार करेगा, राष्ट्रपति के विचार सुनेगा तथा न्यूनतम दो तिहाई बहुमत से ही उक्त प्रस्ताव को पारित कर सकेगा। इस प्रकार दूसरे सदन में प्रस्ताव पारित होते ही उपराष्ट्रपति को सूचना दी जायेगी तथा राष्ट्रपति का पद स्वयमेव रिक्त हो जायेगा।

28. राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पद बीच में खाली होने पर अधिकतम 6 माह की अवधि के अन्दर फिर से चुनाव होगा तथा नये निर्वाचित राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी पाँच वर्ष होगा।

29. राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से सम्बन्धित विषयों का विनियमन संसद विधि द्वारा करेगी।

30. राष्ट्रपति को किसी अपराधी के दण्ड को क्षमा करने सजा में परिवर्तन या निलम्बन का अधिकार होगा।

31. इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार उन्हीं विषयों तक होगा जिन विषयों के सम्बन्ध में संसद को विधि बनाने की शक्ति है।

32. 1. राष्ट्रपति को उसके कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता तथा सलाह देने के लिये मंत्रि परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति उस सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। परन्तु राष्ट्रपति ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पूर्ण विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा तथा ऐसे पूर्ण विचार के पश्चात दी गई सलाह के आधार पर कार्य किया जायेगा।

2. राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद के बीच की सलाह के विषय में न्यायालय को जांच करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

33. 1. प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा।

2. मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा पर्यन्त अपने पद धारण करेंगे।

3. मंत्री परिषद सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।

4. मंत्रियों के वेतन भत्ते शपथ इस प्रकार होगी जैसे संसद निश्चित करें।

5. प्रधानमंत्री अथवा मंत्री परिषद के सदस्य को 6 माह के अन्दर संसद सदस्य होना अनिवार्य होगा यदि वह बाहरी है।

34. मंत्री मण्डल प्रत्येक पांच वर्ष पर स्वयमेव भंग हो जायेगा तथा राष्ट्रपति-

1. समय पूरा होने के बाद भंग होने पर।
2. बीच में ही लोक सभा का विश्वास खो देने पर।
3. त्याग पत्र दे देने पर। नई मंत्री परिषद का गठन करेगा। इस मंत्री परिषद की अवधि भी पांच वर्ष होगी।

35. 1. भारत सरकार की समस्त कार्यपालिक कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जायेगी।

2. राष्ट्रपति के नाम से किये गये कार्य आदेशों को राष्ट्रपति द्वारा बनाये गये नियमों के आधार पर अभिप्रमाणित किया जा सकेगा। ऐसे अभिप्रमाणित कार्य राष्ट्रपति द्वारा किये गये माने जाएंगे।

3. राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किये जाने के लिए मंत्रियों में कार्य आबंटन के नियम बनायेगा।

36. प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह -

1. संघ के कार्यों के प्रशासन संबंधी मंत्री परिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को सूचित करें।
2. संघ के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापना संबंधी जिस जानकारी को राष्ट्रपति मांगे वह उपलब्ध करावें।

37. संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति तथा दोनो सदनों को मिलाकर बनेगी जिसके नाम लोकसभा और परिवार सभा।

38. परिवार सभा निम्नांकित --

1. राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत ऐसे दस व्यक्ति जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, या सामाजिक सेवा के विषय में विशेष ज्ञान या अनुभव हो।

2. प्रान्तीय सभाओं द्वारा अपने बीच से चुने गये व्यक्ति जो प्रत्येक प्रान्तीय सभा द्वारा प्रत्येक दो के अनुपात से चुने जाएंगे।

3. संघ सभा द्वारा अपने बीच से चुने गये चालीस सदस्यों को मिलाकर बनेगी।

39. 1. लोकसभा चार सौ पंचानबे निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्येक से एक के आधार पर चुनकर आये सदस्यों से मिलाकर बनेगी।

2. बीस जिलों को मिलाकर एक लोकसभा क्षेत्र होगा।

3. लोकसभा सदस्य के चुनाव में परिवार के मुखिया/उप मुखिया द्वारा अपनी सदस्य संख्या के आधार पर मत दिया जायेगा।

40. लोक सभा सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक वर्ष अधिकतम एक सौ सदस्यों का होगा जो प्रत्येक प्रदेश से होंगे। साथ ही किसी सदस्य के त्यागपत्र मृत्यु अथवा निष्कासन की स्थिति में उस स्थान पर उसके कार्यकाल के बीच में भी निर्वाचन होगा। उक्त सदस्य का कार्यकाल उतना ही होगा जितना जाने वाले का शेष था।
41. राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि वह उसी वर्ष पद मुक्त होने वाले सदस्यों की टीम को समय पूर्व ही भंग करके उसका तत्काल चुनाव करा दें। यह चुनाव बाद में होने वाले चुनाव के समान माना जायेगा।
43. परिवार सभा का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा।
44. राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि वह परिवार सभा को कभी भी भंग करके उसका चुनाव फिर से करा दे यदि उसका कार्यकाल कम से कम दो वर्ष हो चुका हो।
45. धारा 44 के आधार पर बनी परिवार सभा का कार्यकाल भी धारा 43 के अनुसार ही होगा।
46. चुनाव आयोग के अन्तर्गत होने वाले किसी भी चुनाव के लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
47. राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर अधिवेशन के लिये आवाह्न करेगा जैसा वह उचित समझे तथा जिसका समय पिछली बैठक से छः माह से अधिक न हुआ हो।
48. राष्ट्रपति समय-समय पर किसी भी सदन का सत्रावसान कर सकेगा।
49. 1. राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ में प्रत्येक सदन या दोनो सदनों के एक साथ अभिभाषण करेगा तथा संसद को उसके आवाह्न के कारण बतायेगा।
2. प्रत्येक सदन की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों द्वारा ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिये समय नियत करने हेतु उपबंध किया जाएगा।
50. प्रत्येक मंत्री का यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन की बैठक में भाग ले किन्तु वह उस सदन में मत नहीं दे सकेगा जिसका वह सदस्य नहीं है।
51. परिवार सभा अपने बीच से एक उप सभापति का चुनाव करेगी जो उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में या उनके राष्ट्रपति का दायित्व संभालने की स्थिति में अस्थायी रूप से उपराष्ट्रपति का कार्य संभालेगी।
52. परिवार सभा के उपसभापति की पद मुक्ति उपराष्ट्रपति के समान होगी।
53. संविधान के अन्तर्गत निर्वाचन द्वारा निर्मित किसी इकाई के पदाधिकारी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करते समय वह व्यक्ति न तो उक्त प्रस्ताव पर मतदान कर सकेगा न ही अध्यक्षता या संचालन परन्तु वह विचार विमर्श में भाग ले सकेगा।

54. लोकसभा के किसी सदस्य के विरुद्ध उसी लोकसभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले न्यूनतम पंद्रह जिलों की जिला पंचायतें एक साथ बैठकर प्रस्ताव पारित करती हैं तो उक्त सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जायेगी। ऐसा प्रस्ताव न्यूनतम पांच जिला पंचायतों द्वारा पारित करके प्रांतीय पंचायत के अध्यक्ष को दिया जायेगा तथा प्रांतीय पंचायत का अध्यक्ष बीस जिला पंचायतों की बैठक करेगा।

55. 1. लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी।

2. लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष तभी तक अपने पद पर रहेंगे जब तक -

(क) वे स्वयं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष, अध्यक्ष को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर से अपना त्यागपत्र न दे।

(ख) लोक सभा अविश्वास प्रस्ताव द्वारा उन्हें हटा न दे।

(ग) वह लोकसभा का सदस्य न रहे।

56. संसद के किसी सदन के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उस सदन का कोई भी सदस्य अध्यक्षता कर सकेगा जिसे सदन अवधारित करें।

57. प्रत्येक सदन के सभापति उपसभापति तथा सदस्य ऐसे वेतन भत्ते या सुविधाएँ प्राप्त कर सकेंगे जो संघ सभा समय समय पर निश्चित करें।

58. संसद के प्रत्येक सदन का पृथक सचिवीय कर्मचारी वृन्द होगा। संसद ऐसे कर्मचारी वृन्द की नियुक्ति सेवा शर्तें वेतन भत्ते आदि के नियम बना सकेगी।

59. पद ग्रहण करते समय -

1. राष्ट्रपति प्रधान न्यायाधीश के समक्ष।

2. उपराष्ट्रपति मंत्रिमण्डल के सदस्य प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के समक्ष।

3. संसद सदस्य तथा नियंत्रक महा लेखा परीक्षक राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष। अनुसूची एक में वर्णित प्रारूप के अनुसार शपथ ग्रहण करेगा तथा हस्ताक्षर करेगा।

60. एक व्यक्ति संसद के एक ही सदन का सदस्य रह सकेगा। परन्तु एक ही व्यक्ति संसद का सदस्य होते हुए किसी पंचायत का सदस्य रह सकता है।

61. संसद का कोई सदस्य भारत सरकार के अधीन कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा।

62. यदि किसी संसद सदस्य की योग्यता को चुनौती दी जाती है तो राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह से अन्तिम निर्णय करेगा जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

63. 1. इस संविधान के उपबंधों के तथा संसद की प्रकिया का नियमन करने वाले नियमों तथा स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए संसद में वाक स्वातंत्र होगा।

2. संसद में या उसकी समिति में कही गई किसी सदस्य की कोई बात या उसके दिये गये मत के विषय में न्यायालय कोई विचार नहीं कर सकेगा। परन्तु यदि कोई संसद सदस्य आरोप लगाता है कि उसे बलपूर्वक अपना नियमानुसार मत देने या विचार प्रकट करने में अधिकृत व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी ने बाधा उत्पन्न की है तो न्यायालय ऐसे मामले में सुनवाई कर सकेगा।

64. कोई भी विधेयक --

1. संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकेगा

2. संसद के दोनों सदनों की अलग-अलग अक्षरशः सहमति के बाद ही पारित माना जायेगा ।

3. संसद के दोनों सदनों द्वारा विधेयक या संशोधन पर अन्तिम रूप से सहमत न होने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाकर विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा तथा संयुक्त बैठक के निर्णय को अन्तिम माना जायेगा।

65. संसद के दोनों सदनों में अलग-अलग या संयुक्त रूप से पारित विधेयक पर राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर करेगा। तत्पश्चात् विधेयक पर कार्यवाही शुरू हो जायेगी किन्तु संसद के दोनों सदनों में अलग-अलग पारित विधेयक के राष्ट्रपति अपनी असहमति होने पर पुनः संयुक्त बैठक में प्रस्तुत कर सकता हैं।

66. 1. राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ से न्यूनतम एक माह पूर्व संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की आगामी वर्ष की प्राकलित प्राप्ति और व्यय का विवरण रखवायेगा।

2. संसद में रखे जाने वाले प्राकलन विवरण का स्वरूप संसद निश्चित करेगी।

3. संसद में प्रस्तुत वित्त विधेयक के अतिरिक्त व्ययों के लिये संसद से अनुदान मांग विधेयक स्वीकृत कराकर ही खर्च किया जा सकेगा।

4. संसद द्वारा पारित वित्त विधेयक और अनुदान विधेयक के आधार पर शासन संचित निधि से राशि आहरित कर सकेगा।

67. इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संसद का प्रत्येक सदन तथा संविधान सभा अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिये नियम बना सकेगी।

68. दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा।

69. संसद वित्तीय कार्य या भारत की संचित निधि से विनियोग हेतु संसदीय स्वीकृति समय के भीतर करने की व्यवस्था करेगी यदि संविधान का कोई भी उपबन्ध ऐसे कार्य में बाधक होगा तो राष्ट्रपति ऐसी बाधा को तत्काल दूर करने हेतु लोकसभा से निवेदन करेगा तथा लोकसभा यह मानकर कि भविष्य में विधिवत प्रक्रिया पूरी हो जायेगी उक्त निवेदन के आधार पर स्वीकृति दे सकती है। परन्तु ऐसी स्वीकृति

अन्य वर्ष की बाधाओं के लिए लाभ तब तक नहीं दे सकेगी जब तक उसे विधिक पारित न करा लिया जाये।

70. 1. संसद की किसी कार्यवाही की विधि मान्यता की प्रक्रिया को किसी अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

2. संसद का कोई अधिकारी या सदस्य, संसद के चालन के दायित्व को पूरा करने में किये गये कार्यों के लिये न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होगा।

71. राष्ट्रपति का समाधान हो जाय कि अविलम्ब कार्यवाही आवश्यक है परन्तु संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकेगा जिसकी शक्ति संसद का अगला सत्र समाप्त होने के ठीक पूर्व तक उसी तरह की होगी जैसे संसद में पारित प्रस्ताव की होती है।

72. भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा।

73. उच्चतम न्यायालय का एक प्रधान न्यायाधीश तथा ग्यारह अन्य न्यायाधीश होंगे।

74. प्रधान न्यायाधीश तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे

परन्तु --

1. किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय प्रधान न्यायाधीश की सलाह आवश्यक है।

2. न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए आवश्यक है कि वह व्यक्ति 1. प्रधान न्यायाधीश के लिए उच्चतम न्यायालय का तथा 2. न्यायाधीश के लिये किसी या किन्हीं प्रादेशिक न्यायालयों में न्यूनतम पांच वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो।

75. उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को सिर्फ उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जो राष्ट्रपति के महाभियोग में अपनाई जाती है।

76. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पैंसठ वर्ष की उम्र से अधिक उम्र तक कार्य नहीं कर सकेंगे।

77. भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के मामले में संसद विचार करेगी तथा संसद की अवमानना पर सर्वोच्च न्यायालय विचार करेगा।

78. उच्चतम न्यायालय दिल्ली या प्रधान न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति के अनुमोदन से अन्य स्थान पर अधिविध होगा।

79. इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए सर्वोच्च न्यायालय को

1. संविधान की किसी भी धारा की व्याख्या करने का

2. भारत के अन्दर स्थापित किसी भी प्रशासनिक इकाई, संसद, संघ सभा, पंचायत, या परिवार के आपसी विवाद अपील के माध्यम या सीधे या किसी भी न्यायालय में चल रहे मुकदमे को मंगाकर।

3. प्रादेशिक न्यायालयों के विरुद्ध अपील या मंगाकर, सुनने तथा निर्णय करने का अधिकार होगा।

80. सर्वोच्च न्यायालय प्रत्येक प्रदेश में एक प्रान्तीय न्यायालय जिले में जिला न्यायालय तथा आवश्यकतानुसार अन्य न्यायालयों की इस प्रकार स्थापना व्यवस्था तथा संचालन करेगा कि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले तथा अपराधों पर सक्षम नियंत्रण हों ।
81. सर्वोच्च न्यायालय की सलाह से राष्ट्रपति न्यायालयों की व्यवस्था संबंधी विधि बनायेगा।
82. सर्वोच्च न्यायालय के प्रस्ताव पर संसद ऐसी विधि बनायेगी जिसके आधार पर प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा तथा विधि व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से अपराधियों के दण्ड की व्यवस्था हो सके। परन्तु यदि संसद तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच किसी मुद्दे पर अंतिम रूप से असहमति होगी तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रमुख न्यायाधीश मिलकर अंतिम निष्कर्ष निकालेंगे।
83. यदि संविधान की किसी धारा की व्याख्या के मुद्दे पर न्यूनतम पचीस प्रतिशत न्यायाधीश असहमत हो जाते हैं तो न्यायाधीशों की दोनों प्रकार की व्याख्याएँ संविधान सभा के समक्ष जायेंगी तथा संविधान सभा बिना अपना कोई अन्य मत व्यक्त किये किसी एक मान्यता को स्वीकार करेगी जो अंतिम व्याख्या होगी।
84. यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु दण्ड घोषित किया गया है, तथा वह व्यक्ति दोनों आंखे दान देकर जीवित रहने की याचना करता है तो न्यायालय संसद द्वारा निश्चित विधि के आधार पर जिसमें उसकी जमानत या अन्य शर्तें उल्लेखित हों उस व्यक्ति को जीवित रहने की अनुमति दे सकेगा।
85. सर्वोच्च न्यायालय की देश के किसी भी न्यायालय पर किसी भी मामले में सर्वोच्चता प्राप्त होगी।
86. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान से प्राप्त अधिकारों के भीतर दिये गये निर्णय सरकार तथा संसद के लिये बाध्यकारी होंगे।
87. संसद सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी शक्तियाँ देने के लिये सक्षम है जो इस संविधान की किसी धारा के प्रतिकूल न हो तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये आवश्यक हों।
88. किसी भी न्यायालय की सुनवाई तथा निर्णय गुप्त नहीं होंगे परन्तु 1. उपरोक्त धारा संविधान की धारा 149, 150, 151, 152 पर लागू नहीं होगी। 2. कोई न्यायालय किसी प्रकरण विशेष की सुनवाई या निर्णय गुप्त रूप से चलाने की अपने ऊपर के न्यायालय से अनुमति न ले चुका हो।
89. सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्तियाँ प्रमुख न्यायाधीश या उनसे अधिकार प्राप्त व्यक्ति संघ आयोग के परामर्श से करेगा।
90. अपराधियों के आर्थिक दण्ड तथा न्यायालय के व्यय के बीच ऐसा संतुलन बनाने का प्रयास किया जायेगा कि न्यायालय का कोई व्यय भारत की संचित निधि पर भारित न हो।

91. भारत एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करेगा तथा उसे उसी विधि से हटाया जा सकेगा जो राष्ट्रपति के लिये निश्चित है।

92. नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन तथा सेवा शर्तें ऐसी होंगी जो संसद निर्धारित करें।

93. संविधान तथा संसद की विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के कार्य करने वाले लोगों की प्रशासनिक शक्तियाँ तथा सेवा शर्तें वही होंगी जो महालेखा परीक्षक के परामर्श से राष्ट्रपति निश्चित करें।

94. नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसी भी सभा पंचायत संघ शासन के आय व्यय संबंधी

1. लेखा पुस्तकें रखने की विधि राष्ट्रपति से बनवायेगा।

2. उनकी समय-समय पर जांच करेगा।

3. जांच पश्चात् उनकी रिपोर्ट संविधान सभा में एवं राष्ट्रपति को पेश करेगा जो संसद तथा संघ सभा के समक्ष रखी जायेगी।

95. (क) राष्ट्रपति अपने पद की शैलियों के प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करने के लिये किये गये या किये जाने वाले किसी कार्य के लिये किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे।

(ख) राष्ट्रपति पर उसकी पद अवधि के अन्तर्गत किसी प्रकार के दण्ड, गिरफ्तारी या मुकदमा चालू रखने की कार्यवाही किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जायेगी।

--- भाग -5 परिवार ---

96. भारत का प्रत्येक नागरिक किसी परिवार का सदस्य होगा, परन्तु यदि कोई व्यक्ति किसी परिवार का सदस्य नहीं है न रहना चाहता है तो वह एकल परिवार बना सकता है जिसे मतदान के अतिरिक्त अन्य सभी अधिकार होंगे। ऐसा व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य नहीं बन सकेगा न वह कोई चुनाव लड़ सकेगा।

97. प्रत्येक परिवार का एक परिवार प्रमुख होगा जो उस परिवार में सब से अधिक उम्र का व्यक्ति होगा। यदि ऐसा परिवार का मुखिया चुन लिया जाता है तो उसके बाद की उम्र का व्यक्ति प्रमुख बनेगा।

98. प्रत्येक परिवार में उतने उपपरिवार होंगे जितने गाँव में वे निवास करते होंगे।

99. प्रत्येक उपपरिवार का एक मुखिया होगा जिसका चयन उपपरिवार के सभी सदस्य गुप्त मतदान द्वारा बनाई गई प्रक्रिया से करेंगे तथा जिसका कार्यकाल पांच वर्ष होगा।

100. परिवार के प्रत्येक सदस्य की सम्पत्ति सामूहिक होगी तथा सम्पूर्ण सम्पत्ति पर प्रत्येक सदस्य का समान अधिकार होगा। वह सम्पत्ति किसी व्यक्ति के परिवार छोड़ते समय उसकी व्यक्तिगत होगी तथा नये परिवार में शामिल होते ही उस परिवार की हो जायेगी। किसी सदस्य के समानता के अधिकार को किसी समझौते द्वारा कम नहीं किया जा सकता।

101. प्रत्येक सदस्य के मौलिक अधिकार परिवार में भी सुरक्षित और निहित होंगे। परन्तु किसी बात के लिये परिवार का कोई सदस्य -

क...परिवार के किसी सदस्य के विरुद्ध

ख...किसी अन्य परिवार के विरुद्ध बिना मुखिया की सहमति के किसी न्यायालय या पुलिस में जाता है तो उसकी उक्त परिवार से संबद्धता तत्काल समाप्त हो जायेगी। परन्तु उक्त बंधन उसके पंचायत या सभा में अपनी बात रखने पर लागू नहीं होगा तथा उन स्थितियों में भी नहीं होगा जब तत्काल मुखिया की सहमति संभव न हो तथा संभव होते ही सहमति मिल जावे।

102. उप परिवार का मुखिया परिवार प्रमुख के नाम तथा सहमति से ही उप परिवार का संचालन करेगा। किसी मुद्दे पर प्रमुख द्वारा अन्तिम रूप से अस्वीकार करने पर परिवार के सभी सदस्य मिलकर निर्णय करेंगे।

103. परिवार की कार्य प्रणाली परिवार के लोग तय करेंगे।

104. परिवार प्रमुख मुखिया को कभी भी बर्खास्त कर सकेगा परन्तु यदि परिवार ऐसी स्थिति में दो तिहाई बहुमत से उसी का या किसी अन्य का चयन कर दे तो मुखिया को प्रमुख नहीं हटा सकेगा।

105. यदि परिवार चाहे तो किसी मुखिया के प्रस्ताव पर 90 प्रतिशत के बहुमत से प्रमुख को अवकाश देकर उसके बाद की उम्र के सदस्य को चुन सकता है।

106. यदि परिवार चाहे तो दो तिहाई बहुमत से किसी मुखिया को हटाकर बहुमत से नया मुखिया नियुक्त कर सकता है। जो उपपरिवार का मुखिया होगा।

107. यदि कोई व्यक्ति शासकीय परिवार में शामिल होता है तो वह अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा अधिकार शासन में निहित करेगा। ऐसा व्यक्ति शासन से मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये प्रतिवर्ष सात सौ मूल रूपया तथा बीमार होने की स्थिति में जमा सम्पत्ति के अतिरिक्त 4000 मूल रूपये इलाज खर्च कराने का पात्र होगा। साथ ही यह भी कि यदि उसकी बीमारी पर कोई खर्च नहीं हुआ तो वह पुनः शासन में निहित अपनी सम्पत्ति लेकर किसी परिवार में शामिल हो सकता है। पर एकल परिवार नहीं बन सकता।

108. परिवार का कोई सदस्य अपराध करता है तो न्यायालय उस व्यक्ति के लिये उस परिवार को सामूहिक रूप से दण्ड दे सकेगा जिस परिवार का निर्णय होते समय वह सदस्य है।

109. न्याय, बाह्य सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा, विदेश, व्यापार तथा व्यवहार एवं वित्त विभाग केन्द्र सरकार के अधिकार में होंगे। अन्य सभी व्यवहार के अधिकार परिवार में निहित होंगे जो वह आवश्यकतानुसार ग्राम सभा को दे सकेगा। संसद को उपरोक्त विभागों के अतिरिक्त कोई विधि बनाने का अधिकार नहीं होगा।

110. संघ तथा संसद के बीच टकराव की स्थिति में लोक सभा परिवार सभा तथा संघ पंचायत बैठकर दो तिहाई बहुमत से निष्कर्ष निकालेंगे तथा यदि कोई समस्या फिर भी बनी रहती है तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा उपराष्ट्रपति मिलकर जो निर्णय करेंगे वह अंतिम होगा। परन्तु यदि ऐसा निर्णय असंवैधानिक हो तो न्यायालय में जाने पर कोई रोक नहीं होगी।

111. 1. प्रत्येक परिवार उस ग्राम सभा के अध्यक्ष के पास पंजीकृत होगा जिसमें

(क) उसके परिवार के प्रत्येक सदस्य का पूरा विवरण तथा

(ख) उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति का उस समय के आधार पर मूल्य अंकित होगा।

2. प्रत्येक पंजीकरण पर ग्राम सभा की एक फीस होगी जो प्रत्येक परिवार के लिये समान होगी।

3. पंजीकरण से प्राप्त सम्पूर्ण धन पंजीकरण के व्यय काटकर उस ग्राम सभा के प्रत्येक परिवार में सदस्य संख्या के आधार पर वितरित कर दिया जायेगा।

4. पंजीकरण शुल्क का निर्धारण संसद करेगी।

5. यदि उप परिवार होगा तो। प्रत्येक मुखिया अपने उप परिवार का अपनी ग्राम सभा में पंजीकरण करावेगा जिसमें उक्त उपपरिवार के सभी सदस्यों का विवरण अंकित होगा।

-- भाग 6 सभाएँ तथा पंचायतें --

112. (1) परिवारों के बीच सुविधा के लिये ग्राम सभा बनाई जायेगी।

(2) ऐसी प्रत्येक ग्राम सभा इस तरह बनाई जायेगी कि देश की किसी भी ग्राम सभा की न्यूनतम तथा अधिकतम आबादी का अन्तर तीन गुना से अधिक न हो।

(3) प्रत्येक उपपरिवार का मुखिया ग्राम सभा का सदस्य होगा।

(4) ग्राम सभा के वे ही अधिकार तथा कर्तव्य होंगे जो वह 90 प्रतिशत के बहुमत से तय करें।

113. (1) ऐसी ग्राम सभा अपने सदस्यों के बीच से सात लोगों का चुनाव करके ग्राम पंचायत बनायेगी।

(2) ग्राम पंचायत के वे ही अधिकार, कर्तव्य तथा कार्य प्रणाली होगी जो ग्राम सभा तय करें।

114. 1. अधिकतम 99 पंचायतों की एक जिला सभा होगी। इन पंचायतों के सभी सदस्य जिला सभा के सदस्य होंगे।

2. प्रत्येक जिला सभा अपने बीच से सात लोगों का चुनाव करके एक जिला पंचायत बनायेगी।

3. जिला सभा तथा जिला पंचायत के अधिकार कर्तव्य तथा कार्य प्रणाली जिला सभा तय करेगी।

115. 1. अधिकतम 100 जिला पंचायतों को मिलाकर एक प्रान्तीय सभा बनेगी। जिला पंचायत का प्रत्येक सदस्य उसका सदस्य होगा।

2. ऐसी प्रान्तीय सभा आपने बीच से बीस लोगों का चयन करके एक प्रान्तीय पंचायत का गठन करेगी।

3. प्रान्तीय सभा तथा प्रान्तीय पंचायतों के कर्तव्य अधिकार तथा कार्य प्रणाली प्रान्तीय सभा तय करेगी।

116. अधिकतम 100 प्रान्तीय पंचायतें मिलकर एक संघ सभा का गठन करेंगी। प्रान्तीय पंचायत का प्रत्येक सदस्य संघ सभा का सदस्य होगा।

117. संघ सभा अपने बीच से पचास लोगों का चयन करके संघ पंचायत बनायेगी।

118. संघ सभा तथा संघ पंचायत के वे ही अधिकार कर्तव्य तथा कार्य प्रणाली होगी जो संघ सभा निश्चित करें।

119. यदि किसी पंचायत का कोई सदस्य या पंचायत उपर वाली सभा की सदस्यता न ग्रहण करना चाहे तो वह स्वतंत्र है परन्तु उपर वाली सभा के निर्णय उस पर भी सामान्य रूप से लागू होंगे।

120. सभाओं का परिसीमन इस तरह किया जायेगा कि संघ सभा के बनने के बाद कोई सभा शेष न बच जाये।

121. लोकसभा और ग्राम पंचायत के चुनाव तथा ग्राम सभा के सभी कार्यों में मुखिया ही मतदान करेंगा। एवं मतदान के समय मुखिया के मत उसकी सदस्य संख्या के आधार पर गिने जायेंगे।

122. 1. केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासनिक अधिकारी प्रत्येक ग्राम पंचायत, जिला सभा तथा जिला पंचायत, प्रान्तीय सभा तथा प्रान्तीय पंचायत के अध्यक्ष होंगे।

2. ये अधिकारी किसी भी बैठक का आयोजन तथा संचालन करेंगे, शासन से समन्वय स्थापित कराएंगे, उपर वाली सभा से आपसी व्यवहार की व्यवस्था करेंगे तथा कोई कठिनाई होने पर शासन तथा उपर वाली सभा को सूचित करेंगे, परन्तु ऐसा अधिकारी उक्त सभा या पंचायत के निर्णय को प्रभावित नहीं करेगा तथा अपना मत भी नहीं दे सकेगा। लेकिन ऐसे अधिकारी द्वारा भी बैठक में संवैधानिक या कानूनी स्थिति का बताना हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा।

3. किसी भी सभा द्वारा पंचायत को दिये गये अधिकारों में नये चुनाव तक कोई कटौती नहीं की जायेगी।

123. (1) कोई भी सभा दो तिहाई बहुमत से उस पंचायत को भंग कर सकती है जिसे उसने चुना है। ऐसे पंचायत सदस्य की उपर वाली सभा सदस्यता भी समाप्त हो जायेगी।

(2) ऐसी मध्यावधि चुनाव से बनी पंचायत का कार्यकाल वही होगा जो पूर्ववर्ती का शेष था।

(3) ग्राम सभा का विघटन और चुनाव कभी नहीं होगा।

124. ग्राम सभा को छोड़कर अन्य सभी सभाओं तथा पंचायतों का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा।

भाग 7 वित्त सम्पत्ति तथा समझौते

125. संघ राज्य का सम्पूर्ण आय-व्यय भारत की संचित निधि से संचालित होगा।

126. भारत की संचित निधि, अन्य किसी भी शासकीय राशि की अभिरक्षा उधार लेन-देन अथवा आदान-प्रदान संसद द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन होगा।

127. इस संविधान के प्रारंभ से तत्काल पूर्व जो सम्पत्ति या देनदारी संघ सरकार राज्य सरकार या स्थानीय शासन के अन्तर्गत निहित थी उन सबका दायित्व संघ सरकार का होगा, परन्तु भूमि या भवन के मामले में स्थानीय शासन की संस्थाओं के भवन या भूमि का स्वामित्व उस क्षेत्र की सभा का होगा जिसमें वह भवन या भूमि स्थित है।

128. 1. भारत की सीमाओं में पन्द्रह किलोमीटर अथवा पंद्रह किलोमीटर के आस-पास की वह रेखा जो संघ सरकार निश्चित करे के बीच का भाग संघ सरकार की व्यवस्था तथा स्वामित्व का होगा।

2. उपधारा एक में निवास करने वाले व्यक्तियों का कोई मूल अधिकार नहीं होगा। परन्तु संविधान के लागू होने के पूर्व तक निवास करने वाले अपनी सम्पत्ति का मुआवजा ले सकेंगे।

129. संसद देश की व्यवस्था के लिये अपने सभी नागरिक, संस्थागत, सार्वजनिक, व्यक्तिगत, या पारिवारिक सम्पत्ति पर कर लगा सकेगी जो उस सम्पूर्ण सम्पत्ति का दो प्रतिशत वार्षिक से अधिक नहीं हो सकता।

130. संसद वर्ष भर व्यय करने तथा भारत की संचित निधि में अधिकतम कुल वार्षिक व्यय के आधे तक संचित करने के बाद शेष धन का प्रत्येक परिवार में उसकी सदस्य संख्या के आधार पर समान रूप में वितरण करने की व्यवस्था करेगी।

131. किसी भी सभा अथवा पंचायत को कोई कर लगाने का अधिकार नहीं होगा। वे स्वयं द्वारा किये गये सेवाओं के लिये फीस लगा सकती हैं अथवा विशेष आवश्यक होने पर अपने सदस्यों से दान प्राप्त कर सकती हैं।

भाग 8 - शासकीय सेवाएँ

132. संघ के लिये एक लोक सेवा आयोग होगा। इसके एक अध्यक्ष तथा चार सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे तथा इनकी योग्यता संसद द्वारा निश्चित की जायेगी। इनका कार्यकाल छः वर्ष का होगा।

133. लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह -

(1) संघ की सेवाओं में नियुक्तियों के लिये परीक्षाओं का संचालन करें।

(2) संघ की सेवा कर रहे सेवकों की प्रोन्नति स्थानान्तरण या अनुशासन की कार्यवाही के सम्बंध में शासन को सलाह दे।

134. संघ लोक सेवा आयोग की व्यवस्था पर हाने वाला व्यय भारत की संचित निधि पर अवधारित होगा।

135. 1. संघ लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की एक रिपोर्ट प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट के वे अंश जो संघ लोक सेवा आयोग की सलाह को शासन द्वारा अमान्य किये जाने के सम्बन्ध में हो संसद के समक्ष रखवायेगा।

2. लोक सेवा आयोग की देख रेख में पूरे देश में बी.ए तथा उसके उपर की शिक्षार्थियों की परीक्षाएँ आयोजित की जायेगी ये परीक्षाएँ लेकर दिये गये प्रमाण पत्र वैध होंगे तथा अन्य उपयोगों के साथ किसी भी कालेज के शिक्षक या प्राचार्य होने के लिये आधार होंगे।

136. संविधान में अंकित विशेष उपबन्धों के अतिरिक्त प्रत्येक निर्वाचन में कुल वैध मतदान का पचास प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त करना आवश्यक होगा। यदि ऐसा निर्णायक मत किसी को प्राप्त नहीं होता है तो उस पद के लिये सर्वाधिक तथा उससे कम में सर्वाधिक मत पाने वाले के बीच पुनः सीधा मतदान होगा।

137. 1. इस संविधान के अधीन बनने वाली संसद, संविधान सभा, परिवार के मुखिया, पंचायतों तथा अन्य निर्वाचित पदों के लिये कराये जाने वाले सभी चुनावों की व्यवस्था के लिये एक निर्वाचन आयोग होगा जिसका एक अध्यक्ष तथा दो सदस्य होंगे।

2. निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन करेंगे जिनका कार्यकाल छः वर्ष होगा। कार्यकाल के बीच में इन्हें हटाने की प्रक्रिया वही होगी जो राष्ट्रपति के लिये नियम है।

3. चुनाव आयोग संसद परिवार पंचायत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किसी भी सभा या संसद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के निर्वाचन की उस तरह व्यवस्था करेगा जैसे संसद नियम बनावे।

138. निर्वाचन आयुक्तों का वेतन तथा कार्यविधि ऐसी होगी जैसी संसद निश्चित करें।

139. निर्वाचन आयोग का सारा खर्च भारत की संचित निधि पर भारित होगा।

140. इस संविधान में विशेष रूप से उल्लेखित विषयों को छोड़कर संसद संविधान के अन्तर्गत रहे हुए निर्वाचन संबंधी किसी भी नियम में कभी भी परिवर्तन संशोधन परिवर्धन या निरसन कर सकेगी।

भाग 10 - भाषा

141. 1. राज्य की भाषा हिन्दी होगी।

2. संसद को यह अधिकार होगा कि वह हिन्दी के अतिरिक्त किसी एक अन्य भाषा के व्यवहार की अनुमति दे सकेगी।

142. संसद के दोनों सदनों में भी हिन्दी तथा अनुच्छेद 141/2 के आधार पर स्वीकृत भाषा का प्रयोग हो सकेगा।

143. यदि कोई सदस्य किसी अन्य भाषा का प्रयोग करना चाहे तो वह कर सकता है। परन्तु अनुवाद की कोई व्यवस्था नहीं होगी।

144. कोई भी पंचायत या सभा अपना कार्य किसी भी भाषा में कर सकती है।

145. राज्य को यह अधिकार होगा कि वह विदेशों से पत्र व्यवहार किसी भी अन्य भाषा में कर सकता है।

भाग 11 - आपातकाल

146. यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि युद्ध बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी क्षेत्र में सुरक्षा को गंभीर खतरा है तो वह उपराष्ट्रपति तथा प्रमुख न्यायाधीश से प्रत्यक्ष चर्चा करके तथा सहमति से भारत या किसी क्षेत्र में आपातकाल लगा सकेगा।

147. 1. आपातकाल में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तथा प्रमुख न्यायाधीश की टीम को यह विशेष अधिकार होगा कि वह शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये उन सभी विवेकाधिकारों का उपयोग करें जो वे आवश्यक समझें।

2. आपातकाल के प्रभाव क्षेत्र में आने वाले भाग की सम्पूर्ण सम्पत्ति पर अधिकतम 10 प्रतिशत का विशेष कर लगा दे। परन्तु ऐसे किसी आदेश की आवश्यकता के औचित्य को न्यायालय में संघ सभा द्वारा चुनौती दी जा सकेगी। इसके विचार में प्रमुख न्यायाधीश शामिल नहीं होंगे।

148. राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल की अधिकतम अवधि आगे होने वाले संसदीय सत्र के समापन के ठीक पूर्व समाप्त हो जायेगी या संसद द्वारा किये जाने वाले निश्चय के आधार पर चलेगी।

149. यदि जिले की 1.जिला सभा का अध्यक्ष, 2. जिला पुलिस प्रमुख, 3. जिला जज सर्व सम्मति से अनुभव करें कि उस जिले में गवाहों में भय के कारण न्याय में बाधा पड़ रही है। तो वे उस जिले को गुप्त रूप से आपात क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। जिसकी सूचना सहमति अवधि अथवा कार्यविधि के लिये किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होगी। परन्तु दो वर्ष के भीतर जिला सभा से सहमति लेनी होगी।

150. आपात क्षेत्र के अन्तर्गत होने वाले किसी भी अपराध के लिये पुलिस की गुप्तचर शाखा जिला न्यायालय में गुप्त मुकदमा उस किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध प्रस्तुत कर सकेगी। जिसे इस संविधान की किसी भी धारा में उन्मुक्ति प्राप्त नहीं है।

151. जिला न्यायालय धारा 150 के अन्तर्गत प्रस्तुत किसी भी मुकदमें की जाँच अपनी उस न्यायिक खुफिया एजेन्सी से करायेगा जो उसे प्रदेश न्यायालय उपलब्ध करावे तथा तदनुसार जिला न्यायालय निर्णय करेगा।

152. 1. जिला न्यायालय की कार्यवाही तथा निर्णय तब तक गुप्त रहेगा जब तक उसे कार्यान्वित न कर दिया जाये।

2. ऐसा कार्यान्वयन होते ही अपराधी चाहे तो प्रदेश न्यायालय में अपील कर सकेगा जिसकी गुप्त जांच सर्वोच्च न्यायालय की खुफिया एजेन्सी से करायी जायेगी।

153. (1) राष्ट्रपति यदि महसूस करें कि

(क) समाज में आर्थिक असमानता असीमित हो गई है।

(ख) संघ की आर्थिक स्थिति संतोष जनक नहीं है तो राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति मिलकर सम्पूर्ण देश में आर्थिक आपात काल की घोषणा कर सकते हैं।

(2) आर्थिक आपातकाल में राष्ट्रपति उस क्षेत्र में आने वाली सम्पत्ति पर आपात कर लगा सकते हैं जो एक वर्ष में अधिकतम 2 प्रतिशत तक हो सकता है।

(3) यदि आर्थिक आपातकाल उपधारा एक की (क) के आधार पर लगाया गया है तो उपधारा दो से प्राप्त सम्पूर्ण धन प्रत्येक परिवार को उसकी रजिस्टर्ड सदस्य संख्या के आधार पर समान रूप से वितरित किया जायेगा।

भाग 12 - मिश्रित

154. इस संविधान के लागू होते ही पिछले कानून नियम या उपनियम इस प्रकार शून्य होंगे कि इस संविधान की धाराओं के आधार पर नये कानून नियम या उपनियम बनाकर उन्हें शून्य घोषित किया जाये।

155. कोई भी बैठक की कार्यवाही उसकी कुल निर्वाचित सदस्य संख्या के न्यूनतम में।

1. संसद के किसी सदन की या सयुक्त बैठक में चालीस प्रतिशत

2. परिवार या किसी सभा की बैठक में पचास प्रतिशत

3. किसी पंचायत की बैठक में साठ प्रतिशत। से कम होने पर गणपूर्ति होने तक रुक जायेगी। या स्थगित हो जायेगी।

156. संविधान में उल्लिखित प्रावधानों को छोड़कर किसी भी संस्था का निर्णय उपस्थित वैध मतों के बहुमत से किया जायेगा।

157. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद के किसी सदन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के भते, वेतन सुविधाएँ तथा उन्मुक्तताएँ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे जो संसद निश्चित करें।

158. किसी अन्य देश से विवाद की स्थिति में भारत सरकार तथा संसद पंच फैसले या संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णय को स्वीकार करेगी। परन्तु यदि ऐसा पंच फैसला या संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्णय बहुत अधिक हानिकारक हो तो संघ सभा, संसद या संविधान सभा पृथक इकाई के रूप में सर्व सम्मति से अस्वीकार भी कर सकते हैं।

159. भारतीय संविधान के अन्तर्गत किसी भी मामले में धर्म, भाषा, लिंग तथा जाति का कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा।

160. (1) भारत में एक संविधान सभा होगी जिसके अधिकतम एक सौ दस सदस्य होंगे।

(2) संविधान सभा में प्रत्येक प्रदेश से एक व्यक्ति चुना जायेगा। जिसमें (क) डिग्री कालेज या उसके उपर के कालेज के प्राचार्य ही निर्वाचित हो सकेंगे। (ख) डिग्री कालेज या उसके उपर की कालेज के शिक्षक ही मतदान कर सकेंगे।

(3) संविधान सभा में अधिकतम दस ऐसे सदस्यों का चयन प्राचार्यों की सभा करेगी जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश रहे हो तथा संसद द्वारा घोषित प्रारूप के आधार पर घोषणा करें कि वे जीवन प्रयत्न सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लेंगे।

(4) संविधान सभा का कार्यकाल दस वर्ष का होगा।

(5) बी.ए. या उसके उपर के कालेजों के शिक्षक या प्राचार्यों पर सक्रिय राजनीति में भाग लेने पर प्रतिबंध रहेगा।

161. देश का सारा आर्थिक हिसाब या वेतन तथा मूल्य संसद द्वारा घोषित वर्ष के मूल रूपया में लिखे जाएंगे या मूल रूपये को चालू रूपया में बदल कर ही लिखे जाएंगे इस संविधान में वर्तमान में अंकित मूल रूपया की मान्यता सन 81 के आधार पर है।

162. 1. भारत की प्रगति का आंकलन न्यूनतम श्रम मूल्य में वृद्धि के आधार पर किया जायेगा।

2. यदि राष्ट्रपति आश्वस्त हो कि भारत के न्यूनतम श्रम मूल्य में वृद्धि के लिये विशेष प्रयास आवश्यक है तो वह कृत्रिम उर्जा पर उस सीमा तक मूल्य वृद्धि कर सकेंगे जो श्रम मूल्य वृद्धि के लिये आवश्यक प्रतीत हो।

163. संविधान में किसी अन्य धारा के होते हुए भी संसद धारा 130 तथा 153/3 के आधार पर प्रति व्यक्ति अर्थ वितरण का उन माता पिता को न देने का प्रावधान बना सकेगी जिसके संसद द्वारा घोषित सीमा से अधिक संतान हों।

164. संविधान में किसी अन्य धारा के होते हुए भी तथा भाग तीन के होते हुए भी किसी व्यक्ति के लिए ऐसे घातक हथियार रखने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा जैसा संसद विधि द्वारा घोषित करें। परन्तु राज्य के विशिष्ट पदाधिकारी तथा सुरक्षा के निमित्त नियुक्त उन व्यक्तियों पर यह बंधन नहीं होगा जिन्हें संसद विधि द्वारा उन्मुक्ति दे।

भाग 13 -संविधान संशोधन

165. 1. भारत के संविधान में किसी तरह के संशोधन की आवश्यकता महसूस होने पर--

राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में ऐसा संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करेगा।

2. संविधान संशोधन दोनों सदनों में कुल संख्या के बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों के न्यूनतम दो तिहाई बहुमत से स्वीकृत होगा।

3. दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष भेजा जायेगा जो उसे स्वीकार अस्वीकार या संशोधित कर सकती है।

4. संसद के दोनों सदन संविधान सभा के संशोधन या सुझाव पर बहुमत से निर्णय करेंगे।

5. यदि संसद के दोनों सदन तथा संविधान सभा किसी संशोधन के प्रारूप पर पूर्णतया सहमत हो जाते हैं। तो उस संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे तथा संविधान संशोधित हो जायेगा।


6. परन्तु ऐसा कोई संशोधन भाग तीन में करना हो तो वह प्रस्ताव जनमत के लिये प्रसारित करना होगा जिस पर निर्वाचन आयुक्त की देख रेख में विशेष सहमति प्राप्त की जायेगी। उसके बाद ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे।

उत्तरार्ध

विशेष सूचना- कोरोना काल के दो वर्षों में हमारा कार्य भी लगभग बंद रहा । अब कोरोना से राहत मिलने लगी है और धीरे-धीरे अब हमारी टीम भी सक्रिय हो रही है। आगामी दो और तीन अप्रैल को रामानुजगंज में हम ज्ञान यज्ञ परिवार की व्यवस्था के अंतर्गत लोक स्वराज्य सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। यह कार्यक्रम 2 अप्रैल को प्रातः 9 बजे से शुरू होकर 3 अप्रैल रविवार को शाम 5 बजे समाप्त हो जायेगा। इस कार्यक्रम में आर्य सम्मेलन और लोक स्वराज्य मंच, परिवार सशक्तिकरण अभियान, निर्दलीय संसद अभियान पर भी चर्चा होगी। इस कार्यक्रम में ज्ञान यज्ञ परिवार की राष्ट्रीय कारणों का भी चुनाव होगा। इस कार्यक्रम में सितम्बर में आयोजित होने वाले 15 दिवसीय ज्ञान कुंभ की भी योजना बनेगी। साथ ही रामानुजगंज विकास खंड में लोक स्वराज्य की घोषणा भी होगी। देश भर के सभी मित्रों से निवेदन है कि आप इस दो दिवसिय सम्मेलन में रामानुजगंज आने की कृपा करें। रामानुजगंज छत्तीसगढ़ का उत्तरीय भाग है जो झारखंड तथा उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। निकटतः रेलवे स्टेशन गढ़वा रोड है जो झारखंड में है । उत्तर तरफ से आने वाले लोग गढ़वा रोड होकर आ सकते हैं । गढ़वा रोड से रामानुजगंज आने के पर्याप्त साधन हैं। दूसरा स्टेशन अम्बिकापुर है । दक्षिण की तरफ से आने वाले लोग अम्बिकापुर आ सकते हैं। अम्बिकापुर से गढ़वा रोड के बीच दिन रात का खुला आवागमन है, जिसके

बीच में रामानुजगंज शहर है। हमें विश्वास है कि आप अधिक से अधिक संख्या में इस सम्मेलन में आएंगे। निवास और भोजन की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर धर्मशाला में होगी।

रामानुजगंज की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार है।



● बिलासपुर 300 KM

● नागपुर 800 KM

दक्षिण

- नोट
- (1) अंबिकापुर स्टेशन तथा गढ़वा स्टेशन से पर्याप्त बसें तथा हमारे साधन भी मिलेंगे।
 - (2) वाराणसी, रांची, बिलासपुर, रायपुर से रामानुजगंज बस रूट से भी आ सकते हैं।
 - (3) दिल्ली से गढ़वा रोड़ अनूपपुर अंबिकापुर रेल मार्ग से भी आ सकते हैं। किंतु गढ़वा रोड़ आना सुविधा जनक होगा।
 - (4) रामानुजगंज में एक ही धर्मशाला हैं। धर्मशाला पूछने से पता चल जायेगा।
 - (5) और जानकारी के लिये फोन-बजरंग मुनि जी- 9617079344, प्रमोद केशरी जी- 9340890792, दीपक जायसवाल-9575566074 से संपर्क कर सकते हैं।
 - (6) रायपुर बिलासपुर से ट्रेन रात में चलती है जो प्रातः सात बजे अंबिकापुर पहुंचती है। रामानुजगंज दो घंटे का रास्ता है।
 - (7) आने जाने के सभी मार्गों की सड़के उच्च स्तरीय हैं।
 - (8) वाराणसी से बस से आने वाले वार्डफ नगर उतर कर सीधे रामानुजगंज तक आ सकते हैं।